

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/10932/च.वे.मा./पार्ट-2/07 दिनांक 17.08.2007 के द्वारा श्री भोमसिंह महलावत, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि बर्डोद, अलवर को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16 (5) एफडी/रूल्स/98 दिनांक 07.08.1998 के प्रावधानान्तर्गत वरिष्ठ वेतनमान में 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्केल नं0 13 (8000-13500) में चयनित वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि 31.03.1999 अनुसार चयनित वेतनमान देय तिथि 31.03.2007 से स्वीकृत किया गया था।

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 9106/08 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 एवं एस.एल. पी. सं. 11466/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2016 की अनुपालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(15) माध्य/शिक्षा-2/वि0प्र0/2013 जयपुर दिनांक 15.02.2017 द्वारा शासन स्तर से आगे रिव्यू दायर नहीं करने का स्थाई समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश दिनांक 17.08.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए इनका उपरोक्त चयनित वेतनमान वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति तिथि दिनांक 31.03.1999 के स्थान पर 01.07.1998 एवं चयनित वेतनमान देय तिथि 31.03.2007 के स्थान पर दिनांक 01.07.2006 संशोधित की जाती है।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 11-4-2017

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-1/10932/च.वे.मा./पार्ट-2/07

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, लोकायुक्त, सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II), अलवर
4. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि बर्डोद, अलवर
5. श्री भोमसिंह महलावत, से0नि0 प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि बर्डोद, अलवर
6. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जय/निर्णय/29841/बी/08 दिनांक 03.04.2017
7. अनुभाग अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांक शिविरा/मा/सतर्कता/ए/लो.आ.स./05(15)/2015/भोमसिंह/(125) दिनांक 17.03.2017
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वरि. वेमान/2001 दिनांक 04.05.2001 के द्वारा श्री भोमसिंह महालावत, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि बर्डोद, अलवर को डी. पी.सी. वर्ष 1988-89 में चयनोपरान्त 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16 (5) एफडी /रूल्स/98 दिनांक 07.08.1998 के अनुसार दिनांक 31.03.1999 से वरिष्ठ वेतनमान 12 (ए)(7500-12000) स्वीकृत किया गया था।

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 9106/08 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2012 एवं एस.एल. पी. सं. 11466/2016 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2016 की अनुपालना में राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(15) माध्य/शिक्षा-2/वि0प्र0/2013 जयपुर दिनांक 15.02.2017 द्वारा शासन स्तर से आगे रिव्यू दायर नहीं करने का स्थाई समिति द्वारा निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश दिनांक 04.05.2001 में आंशिक संशोधन करते हुए इनका उपरोक्त वरिष्ठ वेतनमान देय तिथि दिनांक 31.03.1999 के स्थान पर 01.07.1998 संशोधित की जाती है।



(बी.एल. स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक :- 11-4-2017

क्र मांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वरि.वेमान/2001

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशेषाधिकारी, लोकायुक्त, सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.-I/II), अलवर
4. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि बर्डोद, अलवर
5. श्री भोमसिंह महालावत, से0नि0 प्राध्यापक स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि बर्डोद, अलवर
6. अनुभाग अधिकारी (विधि) कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/मा/विधि/बी-2/जय/निर्णय/29841/बी/08 दिनांक 03.04.2017
7. अनुभाग अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा को उनकी अ.टि. क्रमांक शिविरा/मा/सतर्कता/ए/लो.आ.स./05(15)/2015/भोमसिंह/(125) दिनांक 17.03.2017
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा के विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर